



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-45933 वर्ष 2024

दीपक सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अर्धेंदु शेखर शर्मा, राम बाबू शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राम बाबू शर्मा के साथ-साथ श्री आर.पी. पटेल, राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 34 भ०द०वि०, थाना-जहांगीराबाद, जिला: बुलंदशहर के तहत 2023 के मामले में जमानत मांगी है।
4. आवेदक की ओर से यह दूसरी जमानत याचिका है। पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 2024 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-16853 में पारित दिनांक 1.5.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।
5. एक नए आधार के रूप में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि बरामदगी के हथियार के संबंध में भौतिक विरोधाभास है। यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा चाकू से हमला किया गया था, जबकि उसके इशारा पर एक छुरी बरामद की गई है। उक्त तथ्य का उल्लेख स्वयं विवेचनाधिकारी ने किया है।
6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि निकट भविष्य में परीक्षण के समापन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 28.5.2023 से जेल में बंद है, इस प्रकार कारावास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की अवधि ढाई वर्ष से अधिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 2.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दो गवाहों से पूछताछ की गई है। अ०सा०-1 की चार तारीखों के लिए जांच की गई है।

9. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

10. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कारावास की अवधि और गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभासों के अलावा दूसरी जमानत याचिका पर जोर देने का कोई नया आधार नहीं है, इस तथ्य के साथ कि मुकदमा चल रहा है, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

11. प्रस्तुत जमानत आवेदन एतद्वारा योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

12. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)